न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 52/2012

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
ठाकरा पुत्र सिमरथाजी जाति विश्नोई निवासी चितलवाना तहसील सांचोर		1 जयराम पुत्र सिमरथाजी जाति विश्नोई निवासी डीगांव तहसील रानीवाडा

2 मृतक जावंता पुत्र सिमरथाजी जाति विश्नोई निवासी चितलवाना हाल भाणिया तहसील सोजत के का0मु0

2.1 भीकाराम पुत्र जावंताजी

2.2 जयरूपाराम पुत्र जावंताजी

2.3 हरलाल पुत्र जावंताजी

2.4 रूपाराम पुत्र जावंताजी

2.5 बाबूलाल पुत्र जावंताजी

2.6 मीरा बेवा जावंताजी जातिगण विश्नोई निवासीगण चितलवाना हाल भाणिया तहसील सोजत जिला पाली

3 फगलू पुत्र सिमरथाजी जाति विश्नोई निवासी डीगांव तहसील रानीवाडा

4 मृतक भीया पुत्र सिमरथाजी जाति विश्नोई निवासी डीगांव के का0मु0

4.1 मांगीलाल पुत्र भीया

4.2 सोहनलाल पुत्र भीया

4.3 झमूदेवी बेवा भीया जातिगण विश्नोई निवासीगण डीगांव तहसील रानीवाडा

4.4 सुगनी पुत्री भीया पत्नी जगदीशजी जाति विश्नोई निवासी डीगांव तहसील रानीवाडा

5 जाला पुत्र सिरथाजी

6 सुखराम पुत्र सिमरथाजी जातिगण विश्नाई निवासीगण डीगांव तहसील रानीवाडा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 92/1999 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2001 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सगे भाई है तथा ग्राम चितलवाना के खसरा नम्बर 3640, 3642, 3641, 3643 व 3644 में 1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित कराने हेतु विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा रेस्पोडेन्ट जावंता व जाला का इकबाली जवाबदावा पेश किया। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट फगलू, भीया व सुखराम द्वारा भी इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2001 को प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जैर अपील वादस्थ भूमि के 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सांचोर को आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2001 को अन्तिम डिक्री पारित की। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार को न तो पक्षकार बनाया तथा न ही तहसीलदार को 80 सी0पी0सी0 के तहत नोटिस दिया गया, जबकि यह आज्ञापक प्रावधान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने वाद में यह कहीं भी जाहिर नहीं किया कि उसका किस स्थान पर कब्जा काश्त है, जबकि वाद में चरण संख्या 3 में उसने यह अंकित किया कि मौके पर विभाजन हो चुका है तथा समस्त खातेदार अपनी अपनी ढाणीया बनाकर रहते है। इसके अतिरिक्त जो वाद प्रस्तुत किया, वह वास्तविक तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि सिमरथाजी डीगांव के मूल निवास थे, जिनका विवाह लाची से हुआ। लाची के भाई पोलाराम की जागीर पुर्नग्रहण से पूर्व ही मृत्यु हो जाने से उनकी सम्पति, जो ग्राम चितलवाना में स्थित है, सिमरथाजी को प्राप्त हुई। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट जावंता लाची के जायन्दा पुत्र है। लाची के देहान्त के पश्चात सिमरथाजी ने टीपू देवी से विवाह किया। रेस्पोडेन्ट फगलू, भीया, सुखराम व जयराम टीपूदेवी की सन्तान है। इस प्रकार ग्राम चितलवाना की सम्पति

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में अपीलाण्ट ठाकरा एवं रेस्पोडेन्ट जावंता का ही हक हिस्सा निहित है तथा डीगांव में स्थित सम्पति पुश्तैनी होने के कारण उसमें अपीलाण्ट एवं समस्त रेस्पोडेन्ट का हक हिस्सा निहित है। जावंता द्वारा लगभग 45 वर्ष पूर्व भाणिया में रहवास प्रारम्भ कर दिया तथा चितलवाना की भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का हकतर्कनामा कर दिया तथा ग्राम डीगांव में जो भूमि थी, उसका भी हकतर्कनामा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित कर दिया। सिमरथाजी की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विधि विरूद्ध रूप से ग्राम चितलवाना की कृषि भूमि में अपीलाण्ट के साथ साथ अपना नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया, जबकि उक्त भूमि में उनका कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध रूप से नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से मिलावट करते हुए जैर अपील निर्णय पारित करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। जिस गवाह बाबू को चितलवाना का होना बताते हुए बयान कलमबद्ध करवाये गये है, वह चितलवाना का निवासी ही नहीं है तथा न ही वादस्थ भूमि के आस पास उसकी कोई भूमि स्थित है। इस प्रकार समुचित रिती से साक्ष्य भी नहीं ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में जो सम्मन जारी किये गये, वह विधि अनुसार अपीलाण्ट से तामील ही नहीं हुए। चितलवाना में सदराम व वीराराम द्वारा नोटिस की जानकारी देने पर अपीलाण्ट को न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचोर में हुए वाद के बाबत जानकारी प्राप्त होने पर जैर अपील निर्णय की नकले आदि प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है, जो जानकारी से अन्दर म्याद शुमार करवावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा यह अपील पूर्णतः मियाद बाहर प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। जैर अपील निर्णय दिनांक 30.05.2001 में पारित हुआ है, जबकि अपील वर्ष 2012 में प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट का कथन है कि उन्हे नोटिस नहीं मिला, यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि जब अपीलाण्ट के भाईयों को नोटिस व सम्मन प्राप्त हो गए, तो अपीलाण्ट को कैसे प्राप्त नहीं हुए ? यह स्थिति सत्य से परे है। अपीलाण्ट ने समरथाजी की दो शादियों का जिक्रय किया है, जबकि इस तथ्य के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया। अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने के सम्बन्ध में वर्ष 2012 में सवार द्वारा नोटिस लेकर आना बताया, जबकि वर्ष 2012 में कोई वाद ही नहीं था, तो नोटिस कौनसे लेकर आया, यह स्पष्ट नहीं किया है। अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि गवाह बाबू चितलवाना का निवासी नहीं है, यह मान भी लिया जावे कि वह चितलवाना का निवासी नहीं है, तो वह कहां का निवासी है, यह प्रमाणित नहीं किया। अपीलाण्ट यह स्वीकार करते है कि समरथाजी के सात सन्तान है, तो निर्विवादित रूप से उनकी भूमियों में समस्त पुत्रों को 1/7 – 1/7 हक हिस्सा ही निहित होगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने जिन तथ्यों का जिक्र किया है, उनका प्रत्युत्तर अपीलाण्ट उस स्थिति में प्रस्तुत करता, जब अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर मिला होता, जब सुनवाई का अवसर ही नहीं मिला, तो अपना पक्ष कैसे प्रस्तुत करता। जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की पालना में नामान्तरकरण काफि समय बाद स्वीकार किया गया, इस कारण जैर अपील निर्णय की जानकारी ही नहीं हुई। डीगांव की भूमि का हकतर्कनामा वर्ष 2003 में हुआ। इन समस्त तथ्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त करावें।

, बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट जयराम द्वारा अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध दावा बाबत इस्तकरार हक एवं बंटवाडा का प्रस्तुत किया, जिसमें यह कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमियां डीगांव एवं चितलवाना में आई हुई स्थित है, जिसका पट्टा सिमरथाजी के नाम का बना हुआ है, जो सिमरथाजी के फौत होने के पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से जारी हो चुका है, यथा राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो चुका है। उक्त भूमियों का मौके पर विभाजन हो चुका है तथा माफिक विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त विभाजन अनुसार खातेदारी घोषणा एवं बंटवाडा कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय, द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट ठाकरा के नाम जो सम्मन जारी किया गया, वह सम्मन दिनांक 13.09.1999 को दो स्वतन्त्र व्यक्तियों की मौजूदगी में चस्पा किया गया तथा उसके पश्चात एक अन्य सम्मन दिनांक 02.11.1999 को स्वयं अपीलाण्ट ठाकरा से तामील करवाया गया, जिसे पर्याप्त तामील मानते हुए अपीलाण्ट के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 06.12.1999 को अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए। शेष प्रतिवादीगण द्वारा वाद में वर्णित तथ्यो की ताईद करते हुए इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिसके कारण वाद बिन्दु कायम न करते हुए साक्ष्य परीक्षित कर प्रकरण में बहस सुनकर दिनांक 23.1.2001 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2001 को पारित की गई तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

12.11.2012 को प्रस्तुत की है, जो अन्दर मियाद शुमार योग्य है अथवा नहीं ? यह सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए है, उनके अनुसार इजराय प्रार्थना पत्र के नोटिस की सूचना प्राप्त होने पर जानकारी प्राप्त करने पर जैर अपील निर्णय का ज्ञान होना जाहिर किया है। इस प्रकार निर्णय की जानकारी दिनांक 07.11.2012 को होने के पश्चात जानकारी की दिनांक से अपील को अन्दर मियाद शुमार कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए, उन तथ्यों को साबित करने हेतु तथाकथित इजराय आदि की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की। इस सम्बन्ध में आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्ल्ई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया –, सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर संकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18 सत्तार खान व अन्य बनाम ब्रजलाल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963 – विलम्ब का माफ करना – राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करने में 23 वर्ष का अप्रत्याशित विलम्ब – रेस्पोडेन्ट 'बी' पंचायत का प्रधान था और आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था – आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसने आपत्ति नही उठायी – आवेदन में बताये कारण न्यायसंगत नही कहे जा सकते – निर्णीत परिसीमा के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य थी।" इसी प्रकार के तथ्य आर0आर0डी0 1984 पेज 261 अमराराम बनाम बृजलाल में भी प्रतिपादित किये गये है। हस्तगत प्रकरण पर उपरोक्त न्याय सिद्धान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत ऐसा कोई कारण दर्शित नही किया गया है, जिससे देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण अपील परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत अवधि बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 92 / 1999 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2001 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9-4-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर